

INDIAN HERALD

FOUNDED BY B. S. PILLAI

SPECIAL AGENT GENERAL FOR THE EAST

SPECIAL AGENT GENERAL FOR THE EAST

NATION UNDER REG
PRESIDENT'S R

The Tribune

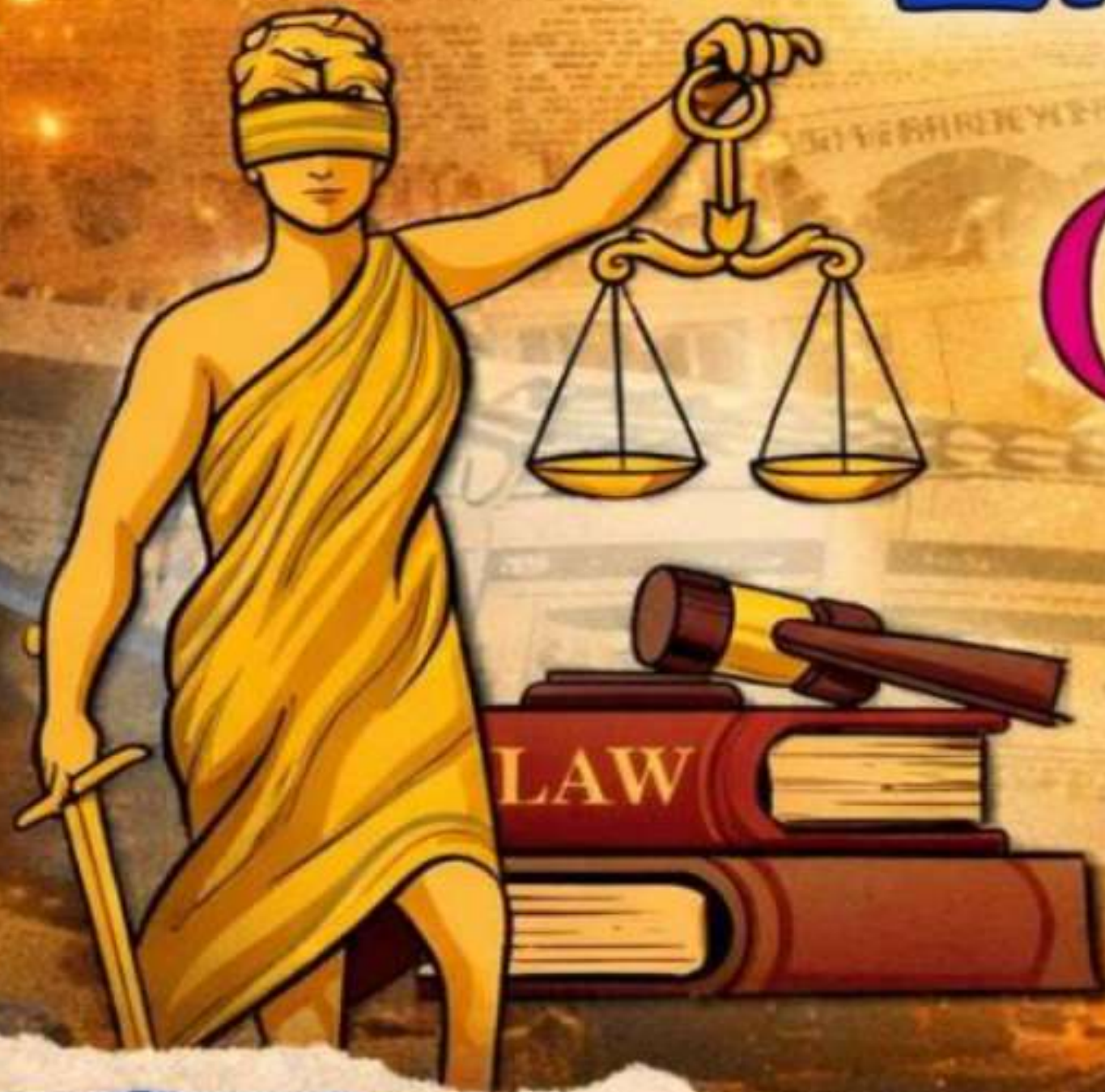
DECLARES EMERGENCY

67C Bens Pressed All
Cante & Cunniry

CESTORY
IMPOSED

Emergency In India

(भारत में आपातकाल)



Emergency आपातकाल

Art. 352
राष्ट्रीय आपातकाल
(National Emergency)

Art. 356
State Emergency
President Rule
(राष्ट्रपति शासन)

Art. 360
वित्तीय
आपातकाल
(financial
Emergency)

- When an extraordinary situation cannot be handled through normal administration, the Constitution allows an emergency to manage it effectively.
- जब कोई असाधारण स्थिति सामान्य प्रशासन से नहीं संभलती, तो संविधान उसे प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आपातकाल लगाने की अनुमति देता है।
- Constitutional provisions: The emergency provisions are given in Articles 352 to 360 of Part XVIII of the Indian Constitution.
- संवैधानिक प्रावधान: आपातकाल से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं।

Three kinds of emergencies; /तीन तरह की आपातकाल का प्रावधान

1. National Emergency /राष्ट्रीय आपातकाल (Articles 352-354, 358-359)
2. President's rule /राष्ट्रपति शासन (Articles 355-357)
3. Financial Emergency /वित्तीय आपातकाल (Article 360).

Sources of Emergency /आपातकाल के स्रोत:

1. Government of India Act 1935 /भारत सरकार अधिनियम 1935
2. Constitution of Weimar Republic of Germany /जर्मनी के वाइमर गणराज्य का संविधान



352

National Emergency (राष्ट्रीय आपातकाल)

- A national emergency can be declared due to war, external aggression, or armed rebellion. The Constitution uses the term 'proclamation of emergency' for this type of emergency.
- राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति के लिए 'आपातकाल की उद्घोषणा' शब्द का प्रयोग करता है।

Grounds of declaration:
(घोषणा के आधार)

- Under Article 352, the President can declare a national emergency if India's security is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.
- अनुच्छेद 352 के तहत, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।



- The President can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or armed rebellion or external aggression
- राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के असल में होने से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
- In case of war or external aggression, it is called an 'External Emergency'.
- युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में इसे 'बाहरी आपातकाल' कहा जाता है।
- when it is declared on the grounds of 'armed rebellion', it is known as 'Internal Emergency'.
- जब इसे 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर घोषित किया जाता है, तो इसे 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में जाना जाता है।

1978

The term 'armed rebellion' is inserted from the 44th Amendment Before this term it was known as 'internal disturbance'

'सशस्त्र विद्रोह' शब्द 44वें संशोधन से जोड़ा गया है। इस शब्द से पहले इसे 'आंतरिक गड़बड़ी' के नाम से जाना जाता था।



Parliamentary approval:



- Within one month after the date of its issuance, it must be ratified by both houses of Parliament.
- संसदीय मंजूरी: इसे जारी होने की तारीख के एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए।
- If the Lok Sabha is not in session or has been dissolved, the proclamation must be approved within 30 days from the first sitting of the newly constituted Lok Sabha.
- अगर लोकसभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है, तो नए बनी लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर इस घोषणा को मंजूरी मिल जानी चाहिए।

Duration of emergency:

- Normally, the emergency will be in effect for six months after approval.
- आपातकाल की अवधि: आम तौर पर, आपातकाल मंजूरी के बाद छह महीने तक लागू रहेगी।
- However, such a proclamation may be extended indefinitely, with each extension receiving Parliamentary approval by a special majority every six months.
- हालांकि, ऐसी घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हर छह महीने में विशेष बहुमत से संसदीय मंजूरी लेनी होगी।



Revocation:

352

1 June

30 June

4 Mon 48



- The President may revoke the state of emergency at any time by issuing a new proclamation to that effect.
- राष्ट्रपति किसी भी समय इस संबंध में एक नई घोषणा जारी करके आपातकाल की स्थिति को रद्द कर सकते हैं।
- Also, if the Lok Sabha adopts a resolution by a simple majority rejecting the continuation of the emergency, the emergency stands revoked.
- इसके अलावा, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल जारी रखने को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पास कर देती है, तो आपातकाल रद्द हो जाएगी।

REVOCATION

Effects of National Emergency (राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव)



Effect on the
Centre - State
relations

केंद्र-राज्य संबंधों पर
प्रभाव

Effect on the life
of the Lok
Sabha and State
Assembly

लोकसभा और राज्य
विधानसभा के जीवन
पर प्रभाव

Effect on the
Fundamental
Rights

मौलिक अधिकारों
पर प्रभाव

Effect on the Centre – State relations:

केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव:

While a proclamation of Emergency is in force, the normal fabric of center-state relations undergoes a basic change. this can be studied under three heads:

जब आपातकाल लागू होती है, तो केंद्र-राज्य संबंधों का सामान्य ढांचा पूरी तरह से बदल जाता है। इसे तीन हिस्सों में समझा जा सकता है:

a) Executive : During a national emergency, the center's executive authority extends to advising any state on how to exercise its executive authority.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को यह सलाह देने तक विस्तारित हो जाती है कि उसे अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए।

b) Legislative : The parliament has the authority to enact laws on any item included in the state list during a national emergency.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के पास राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है।

c) Financial : The president has the authority to scale back or stop the distribution of funds from the central government to the states while a declaration of a national emergency is being considered.

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर विचार किया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार से राज्यों को कोष के बंटवारे को कम करने या रोकने का अधिकार होता है।



Effect on the life of the Lok Sabha and State Assembly

लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन पर प्रभाव



2024
2029

When the national emergency is proclaimed, it will also alter the working of the legislative bodies both at the central and state level.

जब देश में आपातकाल घोषित की जाती है, तो इससे केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर वैधानिक समिति के काम करने के तरीके में भी बदलाव आएगा।

Prolonging Lok Sabha:

During a National Emergency, the Lok Sabha's term can be extended by one year at a time, up to six months after the emergency ends.

लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल हर बार एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और यह आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद तक जारी रह सकता है।

Prolonging state Assembly:

During a National Emergency, Parliament can extend a State Assembly's term by one year at a time, up to six months after the emergency ends.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य विधानसभा का कार्यकाल हर बार एक वर्ष तक बढ़ा सकती है और यह आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद तक जारी रह सकता है।

Effect on the Fundamental Rights

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव



The impact of a National emergency on Fundamental rights is described in articles 358 and 359 of the constitution. / राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या असर होता है, यह संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में बताया गया है।

1. Suspension of fundamental rights under Article 19: Under Article 358, all six rights under Article 19 get automatically suspended during a National Emergency without any separate order. अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन : अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 के छह मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
2. Suspension of Fundamental rights : Under Article 359, the President can suspend the right to approach courts for enforcing Fundamental Rights during a National Emergency—only remedies are suspended, not the rights themselves. मौलिक अधिकारों का निलंबन : अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं—अर्थात् निलंबन उपचारात्मक उपायों का होता है, अधिकारों का नहीं।



Articles 358 and 359 – Impact on the Fundamental Rights (FRs)



Article 358

- Automatically suspends Article 19 for the entire duration of Emergency.
- आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित कर देता है।
- Impacts Article 19 only.
- केवल अनुच्छेद 19 पर प्रभाव डालता है।
- Operated only in case of External Emergency.
- केवल बाहरी आपातकाल (External Emergency) के दौरान लागू होता है।
- Extends to the entire country.
- यह पूरे देश में लागू होता है।

Article 359

- Requires Presidential Order (PO) for suspension of Fundamental Rights, which can be for the entire duration or a shorter period.
- मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) आवश्यक होता है, जो पूरी अवधि या कुछ समय के लिए हो सकता है।
- Impacts all Fundamental Rights mentioned in the Presidential Order except Articles 20 and 21.
- राष्ट्रपति आदेश में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों पर लागू होता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के।
- Operates in both types of Emergencies (External and Internal).
- यह दोनों प्रकार के आपातकाल (बाहरी एवं आंतरिक) में लागू होता है।
- Extends to part or the entire country.
- यह देश के किसी भाग या पूरे देश पर लागू हो सकता है।

The 44th Amendment says the President cannot suspend the right to go to court for enforcing Fundamental Rights under Articles 20 and 21.

44वें संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकते।

Declarations made so far:

- This type of emergency has been proclaimed three times so far- in 1962, 1971 and 1975.
- अब तक की घोषणाएँ: इस प्रकार की आपातकाल अब तक तीन बार घोषित की गई है - 1962, 1971 और 1975 में।
- India's first National Emergency was declared in October 1962 due to Chinese aggression in NEFA and lasted until January 1968.
- भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में चीन के NEFA आक्रमण के कारण लगाया गया था और जनवरी 1968 तक लागू रहा।



- The second proclamation of National Emergency was made in December 1971 in the wake of the attack by Pakistan.

- पाकिस्तान के हमले के बाद दिसंबर 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी।



- A third National Emergency was declared in June 1975 while the previous one was still in force, and both the second and third emergencies were revoked in March 1977.

- जून 1975 में, आपातकाल पहले से लागू होने के बावजूद तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, और दूसरा व तीसरा दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त किए गए।

1 la 12



President's Rule (constitutional Emergency):

राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक आपातकाल):

356



- The Centre must ensure that each state functions according to the Constitution, and if a state's constitutional machinery fails, the Centre can take over—this is known as President's Rule.
- केंद्र का दायित्व है कि हर राज्य संविधान के अनुसार काम करे, और यदि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो केंद्र नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है—इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

Grounds of imposition: the president's ruler can be proclaimed under Article 356 on two grounds:

लागू करने के आधार: राष्ट्रपति शासन को आर्टिकल 356 के तहत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है:

1. Article 356 allows the President to declare President's Rule if he is satisfied that a state government cannot function according to the Constitution.

अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही हो, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।



2. Article 365 states that if a state fails to follow any direction of the Centre, the President can treat it as a situation where the state government cannot function as per the Constitution.

अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति इसे ऐसी स्थिति मान सकते हैं जहाँ राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है।

3. State legislative assembly may be suspended or dissolved.

राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है।

- A proclamation of President's Rule must be approved by both Houses of Parliament within two months of its issuance.
- राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से दो महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेना आवश्यक है।



- If the Lok Sabha is dissolved when President's Rule is proclaimed, the proclamation remains valid until 30 days after the first sitting of the newly formed Lok Sabha, provided the Rajya Sabha approves it in the meantime.
- यदि राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय लोकसभा भंग हो, तो नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक उद्घोषणा मान्य रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा इसे मंजूरी दे दे।



Consequences of President's Rule :

राष्ट्रपति शासन के परिणाम :



The President gets the following extraordinary powers when President's Rule is imposed in a state:

राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेष अधिकार मिल जाते हैं:

✓ He can take over the functions and powers of the state government and governor.

वह राज्य सरकार और राज्यपाल के अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं।

✓ He can allow Parliament to exercise the powers of the state legislature.

वह राज्य की विधान शक्ति संसद को सौंप सकता है।

✓ He can take any necessary steps, including suspending constitutional provisions related to any state authority.

वह आवश्यक कदम उठा सकता है, जिसमें राज्य की किसी भी संस्था से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना भी शामिल है।



Scope of judicial review (न्यायिक समीक्षा का दायरा)

- The 38th Amendment (1975) made the President's satisfaction under Article 356 final and not challengeable in court, but the 44th Amendment (1978) removed this, allowing judicial review.
- 38वाँ संशोधन (1975) ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और अदालत में चुनौती न देने योग्य बनाया था, लेकिन 44वें संशोधन (1978) ने इसे हटाकर न्यायिक समीक्षा की अनुमति दे दी।

S.R. Bommai v. Union of India (1994) :

- Proclamation can be challenged on the ground of/घोषणा को इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:
- Mala fide or Declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts or is absurd or perverse./गलत इरादा या घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी या बेतुकी या गलत थी।



Observations of various committees/commissions:

विभिन्न समितियों/आयोगों की टिप्पणियाँ:



Sarkaria Commission (1987)

- Article 356 should be used very sparingly as a matter of last resort./ अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत कम और आखिरी उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए।
- Any imposition should be accompanied with a report by Governor to President./ कोई भी लागू करने से पहले गवर्नर को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देनी होगी।
- No dissolution of Assembly till proclamation is ratified by Parliament./ जब तक संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा।

National Commission for Reviewing The Working of Constitution (2002):

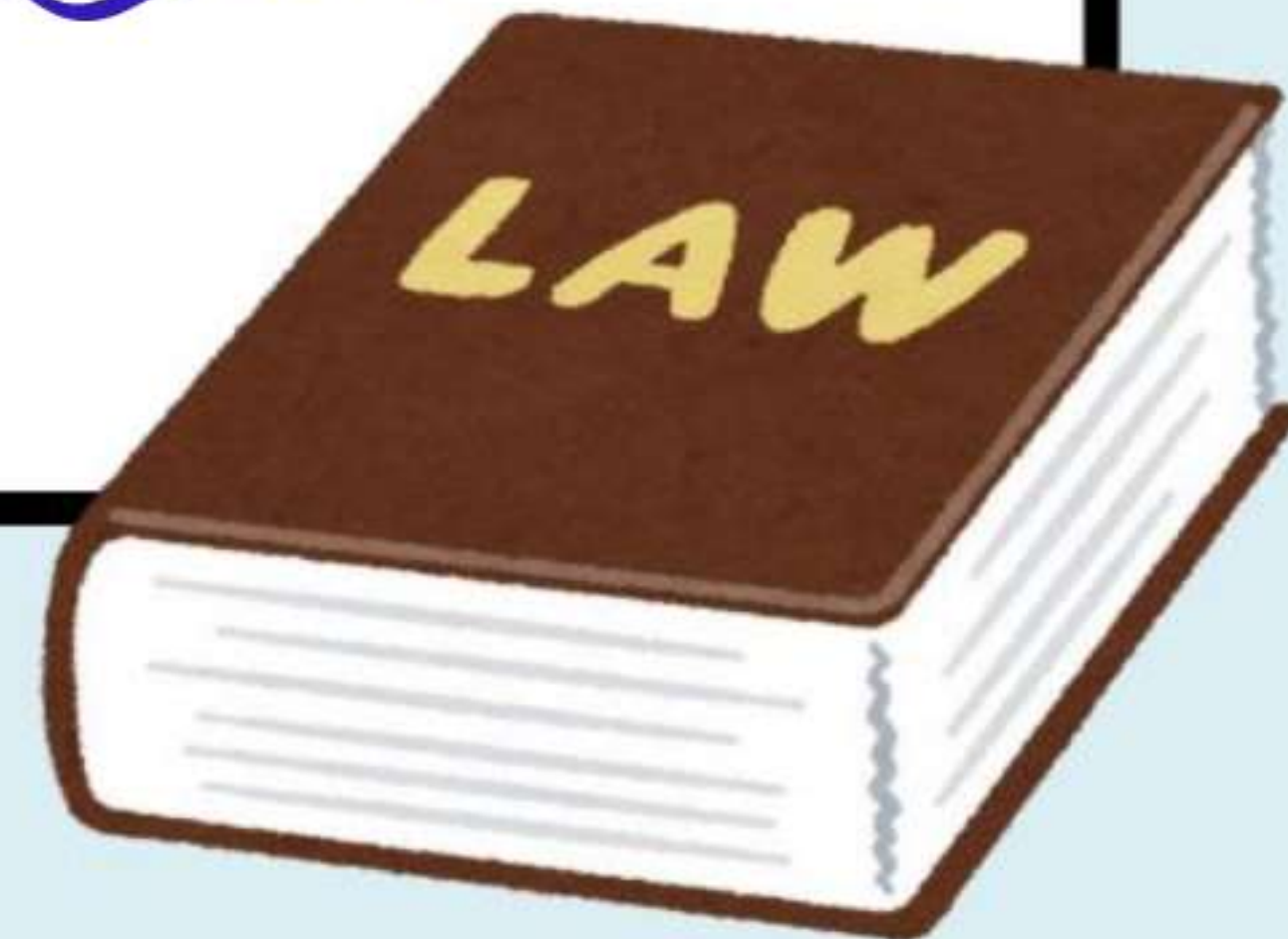
- A warning should be issued to the errant State, in specific terms./ गलती करने वाले राज्य को साफ़ शब्दों में चेतावनी दी जानी चाहिए।
- Before taking action under article 356, any explanation received from the State should be taken into account./ अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने से पहले, राज्य से मिली किसी भी सफ़ाई पर विचार किया जाना चाहिए।
- No dissolution of Assembly till proclamation is ratified by Parliament./ जब तक संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक विधानसभा भंग नहीं की जाएगी।
- The Governor's report should be given wide publicity in all the media and in full./ राज्यपाल की रिपोर्ट को सभी मीडिया में और पूरी तरह से व्यापक प्रचार दिया जाना चाहिए।
- Safeguards corresponding to Article 352 should be incorporated in Article 356./ अनुच्छेद 352 के अनुरूप सुरक्षा उपायों को अनुच्छेद 356 में शामिल किया जाना चाहिए।

Punchhi Commission (2008)

- **Recommended imposition of localized emergency./** स्थानीय आपातकाल लगाने की सिफारिश की गई है। ✓
- **Duration should not exceed three months./** इसकी अवधि तीन महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ✓
- **Amendments be made in Article 356 to incorporate the guidelines in S.R. Bommai case (1994)./ अनुच्छेद 356 में S.R. बोम्मई केस (1994) में दिए गए दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए संशोधन किए जाएं।** ✓

Law Commission (2015)

- **Situation could have been better handled by the use of Article 355, than imposition of Article 356.**
- अनुच्छेद 356 लगाने के बजाय अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करके हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था।



Criticism of the Emergency Provisions

आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना



- **Grounds of declaration:** Article 360 allows the President to declare a Financial Emergency if India's financial stability or credit is threatened.
- अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।

Parliamentary approval and duration (संसदीय मंजूरी और अवधि)

- A Financial Emergency must be approved by both Houses of Parliament within two months.
- वित्तीय आपातकाल को दो महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है
 - Once approved, a Financial Emergency continues indefinitely until revoked. एक बार मंजूर होने पर वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक जारी रहता है, जब तक इसे वापस न लिया जाए।



वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

Effects of Financial Emergency

- Extension of the executive authority of the Union over the financial matters of the States.
 - राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ के कार्यकारी अधिकार का विस्तार
 - Reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the State.
 - राज्य में काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के लोगों की सैलरी और भत्तों में कमी।
 - All money or financial bills passed by a state legislature can be reserved for the President's approval.
 - राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित सभी मनी बिल या वित्तीय बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोके जा सकते हैं।
 - The President can direct cuts in salaries and allowances of Union employees and judges of the Supreme Court and High Courts.
 - राष्ट्रपति संघ के कर्मचारियों और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं।
 - No financial emergency has been imposed till date.
- आज तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।



Criticism of the Emergency Provisions

आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना

1. The federal character of the constitution will be destroyed and the Union will become all powerful. / “संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाएगा और संघ सर्वशक्तिमान हो जाएगा”
2. The powers of the state will entirely be concentrated in the hands of the Union executive. / राज्य की शक्तियां पूरी तरह से संघ कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित हो जाएंगी।
3. The President will become a dictator. / राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा।
4. The financial autonomy of the state will be nullified. / राज्य की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
5. Fundamental rights will become meaningless, as a result, the democratic foundations of the Constitution will be destroyed. / मौलिक अधिकार बेकार हो जाएंगे, नतीजतन, संविधान की लोकतांत्रिक नींव खत्म हो जाएगी।



आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित लेख

Article Related to Emergency Provisions



Article No.	Subject – Matter / विषय – वस्तु
Article 352 ✓	• Proclamation of Emergency / आपातकाल की उद्घोषणा ✓
Article 353 ✓	• Effect of Proclamation of Emergency / आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
Article 354 ✓	• Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation / आपातकाल लागू रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग
Article 355 ✓	• Duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbances / संघ का कर्तव्य – राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना
Article 356 ✓	• Provisions in case of failure of constitutional machinery in states / राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान
Article 357 ✓	• Exercise of legislative powers under proclamation issued under Article 356 / अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
Article 358 ✓	• Suspension of provisions of Article 19 during emergencies / आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
Article 359 ✓	• Suspension of enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies / आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
Article 360 ✓	• Provisions as to financial emergency / वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान